बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

ज्ञापन

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन कार्यरत श्री झुन्नु मल्लिक, प्रखंड आपूर्ति निरीक्षक, पुरनहिया, शिवहर के विरूद्ध ज0वि0प्र0 विक्रेता द्वारा की गई शिकायत एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, शिवहर के न्यायालय में दायर वाद संख्या–95/2024 के संबंध में समर्पित स्पष्टीकरण के असंतोषजनक पाये जाने, अनुकम्पा आधारित ज0वि0प्र0 दुकान की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदक से आवेदन जाँच के क्रम में NR रशीद के नाम पर 22,000/– रूपये की राशि लिये जाने और इस संबंध में समर्पित स्पष्टीकरण के संतोषजनक नहीं पाये जाने, विभागीय सचिव द्वारा दिनांक–09.09.2024 को आयोजित समीक्षात्मक बैठक में आपूर्ति निरीक्षक के Login से लगभग 5,000 लाभुकों द्वारा की गई e-KYC को भूलवश अस्वीकृत किये जाने के लिए आरोप पत्र गठित करने हेतु आदेशित किये जाने, पूर्व निर्धारित बैठक से अनुपस्थित रहने के लिए दिनांक–14.10.2024 का वेतन स्थगित किये जाने एवं इस संबंध में पूछे गये स्पष्टीकरण का जवाब समर्पित नहीं करने, राशन कार्ड से संबंधित प्राप्त होने वाले आवेदन के निष्पादन में बरती जा रही अनियमितता के संबंध में माँगे गये स्पष्टीकरण का जवाब समर्पित नहीं करने, माह दिसम्बर, 2024 की उपस्थिति विवरणी के अनुसार कुल–12 दिन अपने कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहने तथा इस निमित माँगे गये स्पष्टीकरण का जवाब समर्पित नहीं करने, नये राशन कार्ड निर्गत हेतु अनुशंसित आवेदनों में से अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा Randomly जाँच में गंभीर अनियमितता पाये जाने और इस संबंध में दिनांक–22.02.2025 को पूछे गये स्पष्टीकरण का जवाब समर्पित नहीं करने के साथ आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के प्रतिकूल होने जैसे प्रतिवेदित गंभीर आरोपों के लिए जिला पदाधिकारी, शिवहर के पत्रांक–157 दिनांक–01.04.2025 द्वारा आरोप पत्र गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया। तद्‌लोक में श्री मल्लिक द्वारा समर्पित बचाव बयान के समीक्षोपरान्त स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने के आलोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक–838 दिनांक–30.05.2025 द्वारा इन्हें निलंबित किया गया है। श्री मल्लिक के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों की विस्तृत जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किया जाता है।

2. श्री मल्लिक के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु संयुक्त आयुक्त (विभागीय जाँच), मगध प्रमंडल, गया को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है ।

3. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, शिवहर को प्रस्तुत विभागीय कार्यवाही में साक्ष्य उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है ।

4. संचालन पदाधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि आरोपी कर्मी को आरोप पत्र प्रपत्र–'क' एवं साक्ष्यों की एक प्रति अपने स्तर से तामिला कराते हुए तीन माह के अन्दर विभागीय कार्यवाही पूरी कर तत्संबंधी जाँच प्रतिवेदन मंतव्य सहित निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करा देंगे ।

5. श्री मल्लिक को यह निदेश दिया जाता है कि आरोप पत्र प्राप्त होने के 15 दिनों के अन्दर आरोपों के संदर्भ में अपना पक्ष संचालन पदाधिकारी के समक्ष अवश्य समर्पित कर देंगे ।

(वीरेन्द्र कुमार प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक– प्र08–गो0आ0(शिवहर)–03/2025– 851 /खाद्य, पटना/दिनांक– 30/05/2025

प्रतिलिपि– जिला पदाधिकारी, शिवहर/संयुक्त आयुक्त (विभागीय जाँच), मगध प्रमंडल, गया–सह–संचालन पदाधिकारी (आरोप पत्र प्रपत्र 'क' एवं साक्ष्य की प्रति के साथ)/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, शिवहर–सह–साक्ष्य उपस्थापन पदाधिकारी (आरोप पत्र प्रपत्र 'क' एवं साक्ष्य की प्रति के साथ)/अनुमंडल पदाधिकारी, शिवहर/प्रशाखा पदाधिकारी–03/आई0टी0 मैनेजर (वेबसाईट पर अपलोड हेतु), खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना तथा श्री झुन्नु मल्लिक, निलंबित आपूर्ति निरीक्षक (निलंबन अवधि में मुख्यालय–उप निदेशक (खाद्य) का कार्यालय, मगध प्रमंडल, गया) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के उप सचिव।